

भौगोलिक उपदर्शन (जीआई) आवेदन दाखिल करने हेतु दिशानिर्देश का प्रारूप

उत्पादक समुदाय, संघ और संगठनों के लिए चरणबद्ध मार्गदर्शिका



कार्यालय महानियंत्रक, एकस्व, अभिकल्प और व्यापार चिह्न
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

विषय-सूची

प्रस्तावना	3
स्थानीय पहचान से वैधानिक सुरक्षा तक	4
जीआई के लिए योग्य आवेदक	4
[क] जीआई आवेदन दाखिल करने के लिए आवश्यक पूर्व शर्तें.....	5
1. उत्पाद की पहचान	5
2. जीआई सुरक्षा के लिए पात्र वस्तुओं के प्रकार	5
[क] कृषि आधारित वस्तुएँ	6
[ख] प्राकृतिक वस्तुएँ	6
[ग] विनिर्मित वस्तुएँ	6
3. उत्पाद के लिए नाम का चयन	6
जीआई नामों के प्रकार.....	7
नाम और जीआई क्षेत्र	7
नाम का सावधानीपूर्वक चयन	7
जीआई क्षेत्र का निर्धारण	7
4. उत्पादक की पहचान	8
5. उत्पादकों के संगठन	8
6. उत्पाद का विनिर्देश एवं विवरण	9
विनिर्देश	9
विवरण	9
7. उत्पाद का भौगोलिक क्षेत्र तथा उत्पाद से उसका संबंध	10
जीआई क्षेत्र का स्पष्ट निर्धारण	10
उत्पाद के इतिहास पर विचार करना	10
विचारणीय विषय	10
8. उद्गम का प्रमाण और ऐतिहासिक साक्ष्य	11
प्रयोजनीय दस्तावेज़	11
ऐतिहासिक साक्ष्य क्यों महत्वपूर्ण हैं	12
9. उत्पादन की विधि	12
उत्पाद विवरण में शामिल किए जाने वाले तथ्य	12
10. उत्पाद की विशिष्टता	13
11. निरीक्षण निकाय और गुणवत्ता नियंत्रण	13
निरीक्षण निकाय की भूमिका	13
जाँच योग्य तथ्य	14
अनुरेखनीयता का अभिलेख	14

[ख] जीआई आवेदन हेतु दस्तावेज़ की जाँच-सूची	14
[ग] जीआई आवेदन दाखिल करने के लिए आवश्यकताएँ	15
[घ] जीआई आवेदन ऑनलाइन दाखिल करने की प्रक्रिया	16
1. आवेदन के लिए निर्धारित फॉर्म एवं फीस	17
2. भाषा का चयन और दोहरी भाषा में आवेदन	17
3. आवेदन पर हस्ताक्षर	17
4. आवेदन दाखिल करना	17
5. प्रारंभिक परीक्षण	17
6. विशेषज्ञ द्वारा समीक्षा	18
7. प्रकाशन और विरोध	18
8. पंजीकरण और नवीकरण	18
[ङ] जीआई रजिस्ट्री में प्राप्त जीआई आवेदन पर कार्यवाही	18
चरण 1: फाइलिंग और रसीद	18
चरण 2: स्कैन और डेटा एंट्री	19
चरण 3: औपचारिक जाँच	19
चरण 4: औपचारिक रिपोर्ट का उत्तर	19
चरण 5: विशेषज्ञ द्वारा समीक्षा	19
चरण 6: परीक्षण रिपोर्ट	19
चरण 7: परीक्षण रिपोर्ट का उत्तर	20
चरण 7क: कारण बताओ सुनवाई, यदि आवश्यक हो	20
चरण 8: जीआई जर्नल में प्रकाशन	20
चरण 9: पंजीकरण	20
शंका समाधान हेतु संपर्क सूत्र	21
परिशिष्ट -I: जीआई इफाइलिंग हेतु चरणबद्ध त्वरित मार्गदर्शक	22

प्रस्तावना

भौगोलिक उपदर्शन (जीआई) उन उत्पादों की सुरक्षा करता है जो किसी खास जगह से गहराई से जुड़े होते हैं। उत्पाद अपनी गुणवत्ता, खास विशेषताओं, पारंपरिक उत्पादन के तरीकों या लंबे समय से चली आ रही प्रतिष्ठा के लिए जाना जा सकता है। ये गुण उस इलाके की प्राकृतिक स्थितियों, जैसे मिट्टी, जलवायु या पानी, और साथ ही स्थानीय उत्पादकों के कौशल और ज्ञान से मिल सकते हैं। जीआई एक **साझा सामुदायिक अधिकार** है। यह किसी एक व्यक्ति या एक व्यवसाय का नहीं होता। यह उस मान्यता प्राप्त भौगोलिक क्षेत्र के उन सभी असली उत्पादकों के हितों की रक्षा करता है जो स्वीकृत उत्पाद मानकों का पालन करते हैं।

जीआई रजिस्ट्रेशन दूसरों को ऐसे सामान के लिए उत्पाद का नाम इस्तेमाल करने से रोकने में मदद करता है जो असली नहीं हैं या ज़रूरी गुणवत्ता के मानकों को पूरा नहीं करते। यह खरीदारों को असली उत्पादों की पहचान करने में मदद करता है, पारंपरिक ज्ञान और कौशल की रक्षा करता है, और स्थानीय उत्पादक समुदायों के लिए बाज़ार के मौकों और आय को बेहतर बना सकता है।

यह गाइड उन लोगों के लिए है जो भारत की भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री में जीआई के लिए आवेदन करने पर विचार कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल किसान, कारीगर, उत्पादक समूह, संघ, सहकारी समितियां, ट्रस्ट, उत्पादक कंपनियां, सरकारी विभाग, गैर-सरकारी संगठन, सुविधा प्रदाता और उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य संगठन कर सकते हैं।

एक अच्छे जीआई आवेदन के लिए उत्पादक समुदाय की भागीदारी ज़रूरी है। इसमें साफ़ तौर पर दिखाया जाना चाहिए कि उत्पाद कहाँ से आता है, यह क्यों खास है, इसे कैसे बनाया जाता है, और इसकी प्रतिष्ठा उस खास इलाके से क्यों जुड़ी है। आवेदन में भरोसेमंद सबूत, उत्पाद का साफ़ विवरण, जीआई क्षेत्र का नक्शा और रजिस्ट्रेशन के बाद गुणवत्ता बनाए रखने की व्यवस्था भी शामिल होनी चाहिए।

स्थानीय पहचान से वैधानिक सुरक्षा तक

भारत में कई ऐसे उत्पाद हैं जिनकी कीमत उनके मूल स्थान और स्थानीय समुदायों के ज्ञान, कौशल और मेहनत से तय होती है। इनमें कृषि उत्पाद, प्राकृतिक वस्तुएं, हस्तशिल्प, कपड़ा, औद्योगिक सामान, खाद्य पदार्थ और अन्य निर्मित उत्पाद शामिल हो सकते हैं। भौगोलिक उपदर्शन किसी उत्पाद को उसके मूल स्थान और उसे बनाने वाले लोगों के बीच के खास संबंध को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।

यह गाइड आसान भाषा में जीआई आवेदन दाखिल करने के मुख्य चरणों के बारे में बताती है। इसमें उत्पाद की पहचान, उत्पादक संस्था का गठन, मूल स्थान और प्रतिष्ठा का प्रमाण, भौगोलिक क्षेत्र की पहचान, उत्पाद के मानक, गुणवत्ता की जाँच, दस्तावेज दाखिल करना, जाँच-पड़ताल, प्रकाशन, आपत्ति और पंजीकरण शामिल हैं।

जीआई के लिए योग्य आवेदक

जीआई के लिए आवेदन आम तौर पर कोई ऐसी संस्था करती है जो संबंधित उत्पाद के उत्पादकों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। चूंकि जीआई एक सामुदायिक बौद्धिक संपदा अधिकार है, इसलिए कोई अकेला उत्पादक आमतौर पर व्यक्तिगत तौर पर जीआई नाम के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन नहीं करता है।

'भौगोलिक उपदर्शन (माल का रजिस्ट्रेशन और संरक्षण) अधिनियम, 1999' की धारा 11(1) के तहत, लोगों या उत्पादकों का कोई संघ, या कानून के तहत स्थापित कोई संगठन या प्राधिकरण आवेदन कर सकता है, बशर्ते वह उस माल के उत्पादकों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो।

आवेदक इनमें से कोई हो सकता है:

- उत्पादकों का कोई एसोशिएशन या सोसाइटी
- समुदाय के साथ काम करने वाली कोई सहकारी सोसाइटी या ट्रस्ट
- किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)
- कारीगरों द्वारा चलाई जाने वाली उत्पादक कंपनी या कोई अन्य प्रतिनिधि संगठन
- कमोडिटी बोर्ड या विकास बोर्ड
- उत्पादक समुदाय के साथ काम करने वाला कोई गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ)
- निर्यात-प्रोत्साहन संस्था या ऐसी ही कोई अन्य संस्था

आवेदक को यह साबित करना होगा कि वह वास्तव में कारीगरों/किसानों या उत्पादक समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है और स्थानीय उत्पादकों के हितों की रक्षा करेगा। इसके लिए, उसे अपनी कानूनी स्थिति दिखाने वाले दस्तावेज़ जमा करने होंगे, जैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मेमोरेंडम या संविधान, और उप-नियम, आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन आदि। एक नोटरी-प्रमाणित शपथ-पत्र में यह भी बताया जाना चाहिए कि आवेदक किस तरह उत्पादकों के हितों का प्रतिनिधित्व और उनकी सुरक्षा करता है। जहां एक ही इलाके में कई उत्पादक संघ हों, वे एक मुख्य संगठन बना सकते हैं ताकि जीआई आवेदन बड़े उत्पादक समुदाय का निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व कर सके।

(क) जीआई आवेदन दाखिल करने के लिए आवश्यक पूर्व शर्तें

आवेदन दाखिल करने से पहले, यह जाँच लें कि क्या उत्पाद भौगोलिक उपदर्शन सुरक्षा के लिए उपयुक्त है या नहीं। किसी उत्पाद को जीआई रजिस्ट्रेशन के लिए तब माना जा सकता है जब उसका किसी खास भौगोलिक क्षेत्र और उसे बनाने वाले लोगों से स्पष्ट संबंध हो।

1. उत्पाद की पहचान

प्रस्तावित उत्पाद को निम्नलिखित छह बुनियादी शर्तों को पूरा करना चाहिए:

1. **भौगोलिक क्षेत्र से संबंध:** उत्पाद किसी खास क्षेत्र, ज़िले, इलाके या पहचान योग्य भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए।
2. **उत्पाद और जगह के बीच संबंध:** उत्पाद और उसके भौगोलिक क्षेत्र के बीच स्पष्ट संबंध होना चाहिए। यह संबंध ऐसा हो सकता है:
 - प्रत्यक्ष, जहाँ नाम में ही उत्पत्ति की जगह शामिल हो, जैसे किसी क्षेत्र या शहर से पहचाना जाने वाला उत्पाद; या
 - अप्रत्यक्ष, जहाँ उत्पाद का नाम ही पारंपरिक रूप से किसी खास जगह की पहचान कराता हो।
3. **ख्याति:** उत्पाद की एक स्थापित ख्याति होनी चाहिए। यह ख्याति स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर की हो सकती है।
4. **ऐतिहासिक उत्पत्ति:** इस बात के सबूत होने चाहिए कि उत्पाद लंबे समय से उस क्षेत्र में बनाया या उगाया जा रहा है, या उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है।
5. **विशिष्टता और गुणवत्ता:** उत्पाद में ऐसी खास विशेषताएं होनी चाहिए जो उसे समान उत्पाद से अलग बनाती हों। उत्पादक समुदाय ज़रूरी गुणवत्ता को लगातार बनाए रखने में भी सक्षम होना चाहिए।
6. **उत्पादक समुदाय:** उत्पाद को बनाने, उगाने, प्रसंस्करण करने या तैयार करने में उत्पादकों का एक समुदाय शामिल होना चाहिए। जीआई दावे के लिए उनकी पारंपरिक जानकारी, कौशल और तौर-तरीके महत्वपूर्ण हैं।

जीआई रजिस्ट्रेशन के लिए मज़बूत मामला बनाने के लिए उत्पाद को इन सभी शर्तों को पूरा करना चाहिए।

2. जीआई संरक्षण के लिए पात्र वस्तुओं के प्रकार

जीआई संरक्षण उन कृषि आधारित वस्तुओं, प्राकृतिक वस्तुओं और विनिर्मित वस्तुओं के लिए उपलब्ध हो सकता है, जिनका अपने भौगोलिक उद्गम से आवश्यक संबंध हो।

(क) कृषि आधारित वस्तुएँ

इनमें निम्नलिखित से संबंधित उत्पाद शामिल हैं:

- कृषि
- बागवानी
- पुष्पकृषि
- रेशम उत्पादन
- मधुमक्खी पालन
- वन उपज
- लकड़ी और लकड़ी से निर्मित वस्तुएँ

(ख) प्राकृतिक वस्तुएँ

ये वे वस्तुएँ हैं जो प्रकृति में पाई जाती हैं और किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी होती हैं। इनके उदाहरणों में शामिल हो सकते हैं:

- जल-आधारित या जलीय संसाधन
- खनिज
- पत्थर
- ग्रेनाइट

(ग) विनिर्मित वस्तुएँ

निर्मित वस्तुओं में वे उत्पाद शामिल हो सकते हैं जिन्हें स्थानीय कौशल, सामग्री या पारंपरिक विधियों का उपयोग करके लोगों द्वारा बनाया या प्रसंस्कृत किया जाता है। प्रमुख श्रेणियाँ निम्नलिखित हैं:

1. **हस्तशिल्प:** उदाहरणों में मिट्टी के बर्तन, लकड़ी की नक्काशी, पत्थर की नक्काशी और धातु का काम शामिल हैं।
2. **वस्त्र:** उदाहरणों में सूत, कच्चा रेशा, लेस, कढ़ाई, हथकरघा उत्पाद और पावरलूम उत्पाद शामिल हैं।
3. **औद्योगिक वस्तुएँ:** उदाहरणों में औजार और मशीनरी शामिल हैं।
4. **खाद्य पदार्थ:** उदाहरणों में तैयार-खाने योग्य खाद्य पदार्थ, मिष्ठान, बेकरी उत्पाद, स्नैक्स, मांस तथा मांस-आधारित उत्पाद शामिल हैं।
5. **गैर-मादक और मादक पेय:** उदाहरणों में वाइन, बीयर, स्प्रिट्स, फलों से बने पेय और फलों के रस शामिल हैं।

3. उत्पाद के लिए नाम का चयन

भौगोलिक उपदर्शन के लिए प्रस्तावित नाम ऐसा मौजूदा नाम होना चाहिए, जो उस क्षेत्र के लोगों के बीच पहले से प्रचलित और लोकप्रिय रूप से उपयोग किया जाता हो, जहाँ इसका उत्पादन होता है। आवेदकों को यह सावधानी बरतनी चाहिए कि यह नाम कोई नया या गढ़ा हुआ नाम नहीं हो, जिसे केवल जीआई आवेदन दाखिल करने के उद्देश्य से बनाया गया हो। नाम में किसी स्थान के नाम को पारंपरिक उत्पाद के नाम के साथ जोड़ा जा

सकता है अथवा ऐसे प्रतीक या चित्र का उपयोग किया जा सकता है, जो स्पष्ट रूप से उद्गम स्थान का उपदर्शन देता हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नाम लोगों को उत्पाद को उसके भौगोलिक उद्गम और उसकी स्थापित प्रतिष्ठा से जोड़ने में सहायता करे।

जीआई नामों के प्रकार

जीआई नाम सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं:

1. **प्रत्यक्ष जीआई नाम:** प्रत्यक्ष जीआई नाम में उस स्थान का नाम स्पष्ट रूप से शामिल होता है, जहाँ से उत्पाद आता है। स्थान का नाम उत्पाद के नाम से पहले या बाद में हो सकता है। उदाहरण: नागपुर ऑरेंज, तिरुपति लड्डू, बनारस ब्रोकेड्स एंड साड़ीज़, कश्मीर पश्मीना और असम का मूगा सिल्क।
2. **अप्रत्यक्ष जीआई नाम:** अप्रत्यक्ष जीआई नाम में स्थान का नाम शामिल होना आवश्यक नहीं है। तथापि, लोग उस नाम को किसी विशिष्ट उत्पाद और उसके उद्गम स्थान से जुड़ा हुआ पहचानते हैं। उदाहरण: बासमती, फेनी, फुलकारी और अल्फांसो।

नाम और जीआई क्षेत्र

जीआई नाम का आवेदन में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के नाम के बिल्कुल समान होना आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए, किसी उत्पाद को किसी शहर के नाम से जाना जा सकता है, जबकि वास्तविक उत्पादन क्षेत्र में आसपास के गाँव या उससे लगा हुआ कोई बड़ा क्षेत्र शामिल हो सकता है।

इसी प्रकार, किसी उत्पाद को किसी बड़े क्षेत्र, जैसे किसी राज्य या देश के नाम से जोड़ा जा सकता है, जबकि उसका उत्पादन वास्तव में उस क्षेत्र के केवल एक छोटे हिस्से में होता हो। आवेदन में वास्तविक उत्पादन क्षेत्र की स्पष्ट रूप से पहचान की जानी चाहिए और यह बताया जाना चाहिए कि उसका उत्पाद से क्या संबंध है।

नाम का सावधानीपूर्वक चयन

नाम का चयन सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए, क्योंकि उसमें उत्पाद की प्रतिष्ठा निहित होती है। कोई प्रसिद्ध कस्बा, शहर या क्षेत्र खरीदारों को उत्पाद की पहचान करने में सहायता करता है और उसके मूल्य में वृद्धि करता है, विशेषकर तब, जब वह स्थान पहले से ही अपनी संस्कृति, शिल्प, पर्यटन या स्थानीय विरासत के लिए जाना जाता हो।

जीआई क्षेत्र का निर्धारण

जीआई क्षेत्र का निर्धारण इस आधार पर किया जाना चाहिए कि उत्पाद परंपरागत रूप से कहाँ बनाया या उगाया जाता रहा है और विशेष कौशल, प्राकृतिक परिस्थितियाँ या स्थानीय प्रथाएँ कहाँ विद्यमान हैं। इसका निर्धारण केवल जिले, राज्य या अन्य प्रशासनिक सीमाओं के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी सीमाओं का उपयोग केवल तभी किया जाना चाहिए, जब वे वास्तव में उत्पाद के इतिहास, संस्कृति, प्राकृतिक परिस्थितियों या उत्पादन क्षेत्र को प्रतिबिंबित करती हों।

4. उत्पादक की पहचान

स्थानीय समुदाय को उन वास्तविक उत्पादकों की संख्या की पहचान करनी चाहिए, जो उस शिल्प का अभ्यास कर रहे हैं या उस उत्पाद का उत्पादन कर रहे हैं, जिसके लिए वे जीआई संरक्षण प्राप्त करना चाहते हैं। साथ ही, इसमें शामिल समुदाय की भी पहचान की जानी चाहिए, विशेष रूप से उन लोगों की, जो मुख्य रूप से उत्पादन प्रक्रिया में संलग्न हैं तथा जिनके पास पारंपरिक और पैतृक कौशल हैं या जिन्हें ये कौशल पीढ़ी-दर-पीढ़ी विरासत में प्राप्त हुए हैं।

5. उत्पादकों का संगठन

- उत्पादक संघ के गठन के लिए उत्पादकों को संगठित करना। उत्पादकों का संघ संबंधित वस्तुओं के उत्पादकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए।
- उत्पादकों को एक साथ संगठित करने के लिए ट्रस्ट, संघ, सोसाइटी या किसान उत्पादक कंपनी का गठन किया जा सकता है।
- यदि उत्पादकों के दो या तीन से अधिक संघ अस्तित्व में हों, तो एक शीर्ष संगठन (Umbrella Organisation) बनाने का सुझाव दिया जाता है।

वस्तुओं के भौगोलिक उपदर्शन (पंजीकरण एवं संरक्षण) अधिनियम, 1999 की धारा 11(1) में यह प्रावधान किया गया है कि कौन जीआई के लिए आवेदक बन सकता है अथवा जीआई के लिए आवेदन दाखिल कर सकता है।

धारा 11(1) के अनुसार:

“संबंधित वस्तुओं के उत्पादकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों के किसी संघ या उत्पादकों के किसी संघ अथवा किसी ऐसे संगठन या प्राधिकरण, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित हो, और जो ऐसी वस्तुओं के संबंध में भौगोलिक उपदर्शन का पंजीकरण कराने के इच्छुक हों, द्वारा भौगोलिक उपदर्शन के पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार को निर्धारित प्ररूप और निर्धारित रीति से तथा निर्धारित फीस के साथ लिखित रूप में आवेदन किया जाएगा।”

इसके अनुसार, संबंधित वस्तुओं के उत्पादकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों के किसी संघ या उत्पादकों के किसी संघ अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी संगठन या प्राधिकरण, जो ऐसी वस्तुओं के संबंध में भौगोलिक उपदर्शन का पंजीकरण कराने के इच्छुक हों, द्वारा आवेदन किया जा सकता है।

“प्राधिकरण” अभिव्यक्ति के विभिन्न आयाम हैं और यह शब्द इतना व्यापक है कि इसमें विधि द्वारा गठित वे सभी निकाय शामिल होते हैं, जिन्हें सरकारी या अर्ध-सरकारी कार्यों के निर्वहन के लिए शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। अतः इसमें वे सभी संवैधानिक और सांविधिक प्राधिकरण शामिल हैं, जिन्हें विधि द्वारा शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इसमें स्वायत्त निकाय भी शामिल हैं, चाहे वे सरकार के नियंत्रण में हों या नहीं।

उदाहरण: वस्तु बोर्ड—जैसे कॉफी बोर्ड, चाय बोर्ड, मसाला बोर्ड और कॉयर बोर्ड, हस्तशिल्प विकास बोर्ड/आयुक्तालय, उत्पादक कंपनी, गैर-सरकारी संगठन, ट्रस्ट, निर्यात संवर्धन बोर्ड या परिषद तथा सरकारी कंपनियाँ।

6. उत्पाद का विनिर्देशन एवं विवरण

विनिर्देशन

विनिर्देशन में जीआई उत्पाद की उन विशेषताओं का वर्णन होना चाहिए, जो उसके भौगोलिक उद्गम से संबंधित हैं और इस प्रकार उत्पाद तथा क्षेत्र के बीच संबंध को उचित ठहराती हैं (अर्थात् वही उत्पाद किसी अन्य स्थान पर उत्पादित नहीं किया जा सकता)। इसमें यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि कोई विशिष्ट गुणवत्ता (वे विशेष गुण जो उत्पाद को उसी श्रेणी के अन्य उत्पादों से अलग बनाते हैं), प्रतिष्ठा (उत्पाद का इतिहास, पूर्व की प्रतिष्ठा और वर्तमान प्रतिष्ठा) अथवा अन्य विशेषताएँ (जैसे पारंपरिक ज्ञान-कौशल) उसके भौगोलिक उद्गम से किस प्रकार जुड़ी हैं।

इसमें ऐसे मापनीय गुणों (रासायनिक संघटन, आकार, स्वाद, रंग आदि) को शामिल किया जाना चाहिए, जिनका अंतिम उत्पाद में अनुरेखण किया जा सके। इसके अतिरिक्त, इसमें ऐसे तत्व भी शामिल होने चाहिए जो अंतिम उत्पाद में आवश्यक रूप से दिखाई नहीं देते, लेकिन उपर्युक्त विशेषताओं और उत्पाद की पहचान में योगदान करते हैं; उदाहरण के लिए, जैविक संसाधन (पौधों की किस्में), कृषि पद्धतियाँ, अधिकतम उपज तथा पकने/परिपक्व होने की अवधि।

विवरण

उत्पाद के विवरण में, जहाँ लागू हो, कच्ची सामग्री तथा उत्पाद की प्रमुख भौतिक (आकार, भार, रूप-रंग, स्थिरता) रासायनिक (योजकों, अवशेषों आदि की उपस्थिति/अनुपस्थिति) सूक्ष्मजीवविज्ञान संबंधी (विशिष्ट किण्वकों का उपयोग, सूक्ष्मजीवों की उपस्थिति) और/या ऑर्गेनोलेप्टिक अर्थात् इंद्रियग्राह्य (गंध, स्वाद, बनावट, रंग, दृश्य एवं संवेदी प्रोफ़ाइल) विशेषताओं को शामिल किया जाना चाहिए। मांस के मामले में, उत्पाद जिस वास्तविक रूप में प्रस्तुत किया जाता है (ताजा, जमे हुए या संरक्षित), उसका भी विवरण दिया जा सकता है।

उत्पाद के विवरण में निम्नलिखित शामिल हैं:

- कच्ची सामग्री
- भौतिक विशेषताएँ (आकार, रूप-रंग आदि) तथा प्रस्तुति के रूप (ताजा, संरक्षित आदि)
- रासायनिक विशेषताएँ (योजक आदि)
- सूक्ष्मजीवविज्ञान संबंधी विशेषताएँ (किण्वकों का उपयोग, सूक्ष्मजीवों की उपस्थिति आदि)
- ऑर्गेनोलेप्टिक विशेषताएँ (स्वाद, बनावट, रंग, संवेदी प्रोफ़ाइल, सुगंध, स्वादानुभूति आदि)
- प्रसंस्करण विधियाँ (प्रसंस्कृत उत्पादों के लिए) — संबंधित क्षेत्र में अपनाए जाने वाले सभी चरणों के लिए, जिनमें उत्पादन प्रक्रियाएँ, तकनीकें और तकनीकी मानदंड शामिल हैं।
- कृषि उत्पादों के लिए: किस्में, कटाई, भंडारण आदि।

7. उत्पादन का भौगोलिक क्षेत्र और उत्पाद के साथ उसका संबंध

जीआई आवेदन के लिए उस क्षेत्र की स्पष्ट पहचान करना महत्वपूर्ण है, जहाँ उत्पाद बनाया, उगाया या प्रसंस्कृत किया जाता है। इसे जीआई उत्पादन क्षेत्र कहा जाता है। आवेदन में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि इस विशेष क्षेत्र में उत्पाद की क्या विशिष्टता है।

उत्पाद और स्थान के बीच संबंध निम्नलिखित कारणों से हो सकता है:

- प्राकृतिक कारक, जैसे मिट्टी, जल, जलवायु, वर्षा, ऊँचाई या भूदृश्य।
- मानवीय कारक, जैसे स्थानीय उत्पादकों के पारंपरिक कौशल, ज्ञान, विधियाँ और प्रथाएँ।

उदाहरण के लिए, किसी क्षेत्र के कारीगरों द्वारा पीढ़ियों से किसी विशेष विधि का उपयोग किए जाने के कारण कोई हस्तशिल्प विशिष्ट हो सकता है। इसी प्रकार, स्थानीय मिट्टी, जल और जलवायु के कारण किसी कृषि उत्पाद का स्वाद या गुणवत्ता विशेष हो सकती है।

जीआई क्षेत्र का स्पष्ट निर्धारण

जीआई क्षेत्र को मानचित्र पर स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। आवेदन में जीआई क्षेत्र में शामिल सटीक गाँवों, कस्बों, जिलों या क्षेत्रों का उल्लेख किया जाना चाहिए। यदि किसी स्थान को शामिल किया गया है या बाहर रखा गया है, तो उसका कारण भी स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए और संबंधित दस्तावेजों या अन्य साक्ष्यों द्वारा उसका समर्थन किया जाना चाहिए।

जीआई क्षेत्र का निर्धारण केवल जिले, राज्य या अन्य प्रशासनिक सीमाओं के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। इसका आधार उत्पाद और उस स्थान के बीच वास्तविक संबंध होना चाहिए, जहाँ वह परंपरागत रूप से बनाया या उगाया जाता रहा है।

उत्पाद के इतिहास पर विचार करना

समय के साथ उत्पादन क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है। व्यापार, माँग, कच्ची सामग्री की उपलब्धता या अन्य परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण यह आसपास के क्षेत्रों तक विस्तारित हो सकता है या किसी छोटे क्षेत्र तक सीमित हो सकता है। इसलिए, जीआई क्षेत्र निर्धारित करने से पहले उत्पाद के इतिहास की सावधानीपूर्वक समीक्षा की जानी चाहिए।

अक्सर उस मूल क्षेत्र की पहचान करना उपयोगी होता है, जहाँ कई वर्षों से उत्पाद का लगातार उत्पादन किया जाता रहा है। इस क्षेत्र का उत्पाद की पारंपरिक विधियों, विशिष्ट गुणवत्ता और प्रतिष्ठा के साथ सबसे मजबूत संबंध हो सकता है। जीआई क्षेत्र में ऐसे आसपास के स्थान भी शामिल किए जा सकते हैं, जहाँ समान स्थानीय परिस्थितियों और प्रथाओं का उपयोग करके वास्तव में उसी उत्पाद का निर्माण किया जा सकता हो।

विचारणीय विषय

जीआई क्षेत्र निर्धारित करते समय निम्नलिखित चार बिंदुओं पर विचार करें:

1. **प्राकृतिक परिस्थितियाँ:** क्षेत्र की मिट्टी, जलवायु, जलापूर्ति, ऊँचाई, भूदृश्य तथा अन्य भौतिक विशेषताएँ।
2. **स्थानीय प्रथाएँ:** खेती की विधियाँ, प्रयुक्त कच्ची सामग्री या किस्में, कटाई की विधियाँ, प्रसंस्करण विधियाँ तथा अन्य पारंपरिक प्रथाएँ।
3. **इतिहास और प्रतिष्ठा:** इस बात के साक्ष्य कि उत्पाद का उस क्षेत्र में लंबे समय से निर्माण होता रहा है और वह उस क्षेत्र के साथ अपने संबंध के लिए जाना जाता है।
4. **उत्पादकों का स्थान:** वे स्थान जहाँ वर्तमान उत्पादक कार्य करते हैं, साथ ही ऐसे आसपास के स्थान जहाँ वास्तविक उत्पादक समान पारंपरिक प्रथाओं और गुणवत्ता मानकों का पालन कर सकते हैं।

उचित रूप से निर्धारित जीआई क्षेत्र वास्तविक उत्पादकों के संरक्षण में सहायता करता है, उत्पाद के नाम के दुरुपयोग को रोकता है और यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं को प्रामाणिक उत्पाद प्राप्त हो।

8. उद्गम का प्रमाण और ऐतिहासिक साक्ष्य

जीआई आवेदन में यह दर्शाया जाना चाहिए कि उत्पाद का भौगोलिक क्षेत्र के साथ वास्तविक और दीर्घकालिक संबंध है। उत्पाद का इतिहास महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे यह स्थापित करने में सहायता मिलती है कि उसका नाम, उत्पाद बनाने की विधि और उसकी प्रतिष्ठा समय के साथ उसी स्थान पर विकसित हुई है। आवेदक को उत्पाद के इतिहास का स्पष्ट अभिलेख तैयार करना चाहिए। इसमें निम्नलिखित का उल्लेख होना चाहिए:

- उत्पाद पहली बार कब और कहाँ बनाया, उगाया या उपयोग किया गया।
- उत्पाद का नाम किस प्रकार प्रचलन में आया।
- उत्पाद को परंपरागत रूप से किस प्रकार बनाया, प्रसंस्कृत या तैयार किया जाता रहा है।
- स्थानीय उत्पादकों के कौशल और ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक किस प्रकार हस्तांतरित किया गया है।
- उत्पाद स्थानीय स्तर पर तथा उससे बाहर क्यों जाना और मूल्यवान माना जाता है।

प्रयोजनीय दस्तावेज

आवेदन में ऐसे विश्वसनीय दस्तावेज शामिल किए जाने चाहिए जो उत्पाद और उसके नाम को भौगोलिक क्षेत्र से जोड़ते हों। उपयोगी साक्ष्यों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

- गजेटियर और आधिकारिक अभिलेख
- प्रकाशित पुस्तकें, शोध रिपोर्ट और पुराने दस्तावेज
- समाचार-पत्र या पत्रिका के लेख
- ऐतिहासिक अभिलेख, स्थानीय कानून या सरकारी दस्तावेज
- पुराने लेबल, विज्ञापन, कैटलॉग, तस्वीरें या बिक्री संबंधी अभिलेख
- पारंपरिक व्यंजन-विधियाँ, शिल्प संबंधी अभिलेख या उत्पादन की विधि का वर्णन करने वाले अन्य दस्तावेज
- साहित्यिक या वैज्ञानिक प्रकाशनों में उपलब्ध संदर्भ
- जहाँ लिखित अभिलेख उपलब्ध न हों, वहाँ अनुभवी कारीगरों, किसानों, बुजुर्गों या अन्य जानकार व्यक्तियों के मौखिक कथन, कहानियाँ और साक्ष्य।

जब भी किसी पुस्तक, लेख, पांडुलिपि या अन्य दस्तावेज से जानकारी ली जाती है, तो आवेदन में उसका पूरा संदर्भ दिया जाना चाहिए और संबंधित सामग्री की पठनीय प्रति संलग्न की जानी चाहिए। इससे जीआई रजिस्ट्री को दी गई जानकारी का सत्यापन करने में सहायता मिलती है।

ऐतिहासिक साक्ष्य क्यों महत्वपूर्ण हैं?

ऐतिहासिक साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि उत्पाद केवल उस क्षेत्र में हाल ही में बनाया गया कोई नया उत्पाद नहीं है। इससे यह प्रमाणित होता है कि उत्पाद की प्रतिष्ठा, पारंपरिक कौशल और स्थानीय पहचान समय के साथ विकसित हुई है। यह यह समझने में भी सहायता करता है कि उत्पाद और उसकी उत्पादन पद्धतियाँ किस प्रकार विकसित हुईं, जबकि उनका संबंध उसी भौगोलिक क्षेत्र से बना रहा।

उद्गम का सुदृढ़ प्रमाण वास्तविक उत्पादकों की प्रतिष्ठा की रक्षा करता है और खरीदारों को यह समझने में सहायता करता है कि वह उत्पाद उस क्षेत्र के लिए विशेष क्यों है।

9. उत्पादन की विधि

उत्पादन की विधि में यह बताया जाता है कि जीआई उत्पाद किस प्रकार बनाया, उगाया, प्रसंस्कृत और तैयार किया जाता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्पाद की प्रतिष्ठा इस बात पर निर्भर करती है कि वास्तविक उत्पादक उन पारंपरिक प्रथाओं और गुणवत्ता मानकों का पालन करते हैं, जो उत्पाद को विशिष्ट बनाते हैं।

जीआई पूरे समुदाय की साझा संपत्ति है। जीआई नाम का उपयोग करने वाले प्रत्येक उत्पादक की जिम्मेदारी है कि वह इसकी गुणवत्ता और प्रतिष्ठा बनाए रखे। यदि उत्पादक सहमत मानकों का पालन करते हैं, तो जीआई से जुड़ा मूल्य और विश्वास बढ़ सकता है। यदि निम्न गुणवत्ता या अलग गुणवत्ता वाले उत्पाद जीआई नाम के तहत बेचे जाते हैं, तो इससे पूरे उत्पादक समुदाय की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँच सकता है।

इसलिए, उत्पादक समूह को उत्पाद के उत्पादन के लिए स्पष्ट और समान नियम निर्धारित करने चाहिए। इन नियमों में यह बताया जाना चाहिए कि उत्पाद समान प्रकार के अन्य उत्पादों से किस प्रकार अलग है और उसकी गुणवत्ता किस प्रकार बनाए रखी जाएगी।

उत्पाद के विवरण में शामिल किए जाने वाले तथ्य

आवेदन में, जहाँ प्रासंगिक हो, निम्नलिखित का स्पष्ट विवरण दिया जाना चाहिए:

- **कच्ची सामग्री:** प्रयुक्त सामग्री, अवयव, रेशे, फसलें, प्राकृतिक संसाधन या अन्य इनपुट।
- **भौतिक विशेषताएँ:** उत्पाद का आकार, माप, भार, रूप-रंग, डिजाइन, परिष्करण या स्वरूप।
- **विक्रय का तरीका:** उत्पाद ताजा, सूखा, संरक्षित, प्रसंस्कृत या किसी अन्य रूप में बेचा जाता है।
- **रासायनिक विशेषताएँ:** कोई भी अनुमत अवयव, योजक, अवशेष या उत्पाद से संबंधित महत्वपूर्ण रासायनिक गुण।
- **जैविक विशेषताएँ:** जहाँ प्रासंगिक हो, किण्वन, उपयोगी सूक्ष्मजीवों या अन्य जैविक प्रक्रियाओं जैसे विवरण।
- **संवेदी विशेषताएँ:** उत्पाद का रंग, सुगंध, स्वाद, बनावट, स्पर्शानुभूति तथा अन्य ऐसे गुण जिन्हें देखा, छुआ, सूँघा या चखा जा सकता है।

- **उत्पादन प्रक्रिया:** कच्ची सामग्री प्राप्त करने से लेकर प्रसंस्करण, अंतिम रूप देने और भंडारण तक उत्पाद बनाने का प्रत्येक महत्वपूर्ण चरण।
- **अंतिम प्रस्तुति:** उत्पाद को किस प्रकार पैक, लेबल और खरीदारों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

विवरण इतना व्यावहारिक और स्पष्ट होना चाहिए कि उत्पादक, खरीदार और निरीक्षक यह समझ सकें कि एक वास्तविक जीआई उत्पाद कैसा होना चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी अधिकृत उत्पादक समान मूलभूत मानकों का पालन करें।

10. उत्पाद की विशिष्टता

जीआई आवेदन में स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि उत्पाद को अन्य स्थानों पर बनाए जाने वाले समान उत्पादों से क्या विशेष और अलग बनाता है। इसे उत्पाद की विशिष्टता कहा जाता है।

विवरण ऐसे तथ्यों पर आधारित होना चाहिए जिनका सत्यापन किया जा सके। इसमें उन विशेष कच्ची सामग्रियों, पारंपरिक कौशल, उत्पादन विधियों, डिजाइन, रूप-रंग, गुणवत्ता, स्वाद, बनावट या अन्य विशेषताओं का उल्लेख होना चाहिए, जो उत्पाद को उसकी पहचान प्रदान करती हैं। इसमें यह भी दर्शाया जाना चाहिए कि ये विशेषताएँ भौगोलिक क्षेत्र और स्थानीय उत्पादक समुदाय के ज्ञान से किस प्रकार जुड़ी हैं।

11. निरीक्षण निकाय और गुणवत्ता नियंत्रण

जीआई तभी मूल्यवान है, जब लोगों को यह विश्वास हो कि उसके नाम से बेचे जाने वाले उत्पाद प्रामाणिक हैं और सहमत गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हैं। इस कारण उत्पादक समुदाय को जीआई उत्पाद के उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और बिक्री के लिए समान नियम निर्धारित करने चाहिए।

ये समान नियम निम्नलिखित में सहायता करते हैं:

- यह स्पष्ट रूप से पहचानना कि वास्तविक जीआई उत्पाद क्या है।
- यह सुनिश्चित करना कि सभी उत्पादक सहमत उत्पादन प्रथाओं का पालन करें।
- निम्न गुणवत्ता वाले या अलग तरीके से बनाए गए ऐसे उत्पादों की बिक्री रोकना, जिनमें जीआई नाम का उपयोग किया जाता है।
- उत्पाद की प्रतिष्ठा और वास्तविक उत्पादकों की आय की रक्षा करना।
- खरीदारों को यह विश्वास दिलाना कि उत्पाद वास्तव में मान्यता प्राप्त जीआई क्षेत्र से आता है।

निरीक्षण निकाय की भूमिका

निरीक्षण निकाय वह संगठन या व्यवस्था है जो यह जाँच करती है कि उत्पादक उत्पाद के विनिर्देशन और जीआई से संबंधित अन्य नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। यह यह दर्शाने के लिए प्रमाणन या अन्य जानकारी भी प्रदान कर सकता है कि उत्पाद आवश्यक मानकों को पूरा करता है।

निरीक्षण प्रणाली उत्पाद, स्थानीय बाजार और उत्पादक समुदाय के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। छोटे स्थानीय बाजारों में खरीदार उत्पादकों को व्यक्तिगत रूप से जानते हो सकते हैं। हालांकि, जब उत्पाद दूरस्थ बाजारों में, ऑनलाइन या बड़ी संख्या में ग्राहकों को बेचे जाते हैं, तो विश्वास बनाए रखने के लिए अधिक व्यवस्थित जाँच प्रणाली आवश्यक होती है।

जाँच योग्य तथ्य

निरीक्षण निकाय या गुणवत्ता-नियंत्रण प्रणाली को मुख्य रूप से निम्नलिखित तीन बातों का सत्यापन करना चाहिए:

1. **कच्ची सामग्री और उत्पादन प्रक्रिया:** क्या उत्पादक अनुमोदित सामग्रियों का उपयोग करता है और स्टेटमेंट ऑफ प्रैक्टिस या उत्पाद विनिर्देशन में वर्णित उत्पादन विधियों का पालन करता है।
2. **अनुरेखणीयता:** क्या अभिलेख यह दर्शाते हैं कि उत्पाद मान्यता प्राप्त जीआई क्षेत्र से और किसी वास्तविक उत्पादक से आया है।
3. **अंतिम उत्पाद:** क्या तैयार उत्पाद गुणवत्ता, रूप-रंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, स्वाद, बनावट या अन्य प्रासंगिक विशेषताओं के लिए निर्धारित मानकों को पूरा करता है।

अनुरेखणीयता का अभिलेख

अनुरेखणीयता का अर्थ है यह दर्शाने में सक्षम होना कि कोई उत्पाद कहाँ से आया है और उसे किसने बनाया है। इसकी शुरुआत उत्पादकों और जीआई संघ द्वारा रखे गए सरल अभिलेखों से की जा सकती है।

उदाहरण के लिए, उत्पादक जीआई संघ द्वारा उपलब्ध कराए गए रजिस्टर या लॉगबुक में उत्पादित और बेचे गए उत्पादों की मात्रा और प्रकार का रिकॉर्ड रख सकते हैं। पंजीकृत खरीदार उत्पाद खरीदते समय उस अभिलेख पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। आपूर्ति के स्रोत के प्रमाण के रूप में उत्पादक और खरीदार दोनों द्वारा हस्ताक्षरित वितरण प्रमाणपत्र भी जारी करके सुरक्षित रखा जा सकता है। ये अभिलेख यह पुष्टि करने में सहायता कर सकते हैं कि उत्पाद प्रामाणिक है और अधिसूचित जीआई क्षेत्र से आता है।

[ख] जीआई आवेदन के लिए दस्तावेजों की जाँच-सूची

जीआई आवेदन दाखिल करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक दस्तावेज पूर्ण, सही और हस्ताक्षरित हों। निम्नलिखित जाँच-सूची लागू जीआई अधिनियम, नियमों और वर्तमान जीआई रजिस्ट्री की आवश्यकताओं में उल्लिखित प्रावधानों पर आधारित है।

1. **उपयुक्त जीआई आवेदन फॉर्म :** उपयुक्त जीआई आवेदन का चयन करें और उसे निर्धारित रीति से दाखिल करें। फॉर्म जीआई-1 के उपयुक्त प्रकार का उपयोग किया जाना चाहिए। आवेदक या उसके अधिकृत एजेंट द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
2. **मामले का विवरण:** मामले का विवरण संलग्न करें, जिसमें उत्पाद, उसका भौगोलिक उद्गम, विशिष्ट गुण, प्रतिष्ठा और क्षेत्र के साथ उसका संबंध स्पष्ट किया गया हो। आवेदक या अधिकृत एजेंट द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
3. **आवेदक की विधिक स्थिति का प्रमाण:** ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करें जो यह दर्शाते हों कि आवेदक संगठन विधि के अनुसार स्थापित है। इनमें पंजीकरण प्रमाणपत्र, संविधान/गठन दस्तावेज, ज्ञापन, एसोसिएशन के अंतर्नियम, ट्रस्ट विलेख या उपनियम शामिल हो सकते हैं।
4. **आवेदक का पूरा विवरण:** आवेदक का पूरा नाम और पता, साथ ही राष्ट्रीयता, ई-मेल पता, टेलीफोन नंबर और पहचान के लिए आवश्यक अन्य संपर्क विवरण प्रदान करें।

5. **उपयोग का विवरण:** जीआई नाम का कितने समय से उपयोग किया जा रहा है, इसका उपयोग किसने किया है और किन वस्तुओं के लिए किया गया है—इसका विवरण दें। इस जानकारी की पुष्टि करने वाला शपथपत्र प्रस्तुत करें तथा लेबल, तस्वीरें, विज्ञापन, बिक्री संबंधी जानकारी और उस भौगोलिक क्षेत्र का विवरण जैसे सहायक दस्तावेज संलग्न करें जहाँ नाम का उपयोग किया जाता है।
6. **उद्गम और इतिहास का प्रमाण:** ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करें जो उत्पाद के भौगोलिक क्षेत्र के साथ ऐतिहासिक संबंध और उसके नाम के उपयोग को प्रमाणित करते हों। उदाहरणों में गजेटियर, पुस्तकें, सरकारी अभिलेख, शोध-पत्र, ऐतिहासिक दस्तावेज और अन्य विश्वसनीय प्रकाशन शामिल हैं। पूर्ण संदर्भ दें और संबंधित पृष्ठों या दस्तावेजों की प्रतियाँ संलग्न करें।
7. **अतिरिक्त प्रतिरूप:** आवश्यक अतिरिक्त प्रतिरूप प्रस्तुत करें, जिसमें जीआई नाम, आवेदक का नाम और पता, वस्तुएँ, वस्तुओं का वर्ग, उत्पाद का विनिर्देशन और उपयोग की अवधि शामिल हो।
8. **आवश्यक होने पर अनुवाद:** यदि जीआई नाम या आवेदन में प्रयुक्त कोई शब्द हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में है, तो उसका सटीक अनुवाद प्रदान करें और भाषा का उल्लेख करें। जीआई रजिस्ट्री इस अनुवाद को प्रमाणित कराकर हस्ताक्षरित रूप में प्रस्तुत करने के लिए कह सकती है।
9. **उत्पादकों के प्रतिनिधित्व को दर्शाने वाला शपथपत्र:** ऐसा शपथपत्र प्रस्तुत करें जिसमें यह स्पष्ट किया गया हो कि आवेदक प्रस्तावित जीआई से जुड़े उत्पादक समुदाय, संघ या संगठन का किस प्रकार प्रतिनिधित्व करता है और उसके हितों की रक्षा करता है।
10. **जीआई क्षेत्र का प्रमाणित मानचित्र:** जीआई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र, प्रदेश या स्थान को दर्शाने वाले मानचित्र की प्रमाणित प्रतियाँ प्रस्तुत करें। मानचित्र पर उसका शीर्षक, प्रकाशक और जारी किए जाने की तारीख स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए।

[ग] जीआई आवेदन दाखिल करने के लिए आवश्यकताएँ

जीआई आवेदन में उत्पाद, उत्पादक समुदाय और भौगोलिक क्षेत्र के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। आवेदक को आवेदन दाखिल करने से पहले निम्नलिखित जानकारी और दस्तावेज एकत्र कर लेने चाहिए।

1. **जीआई का नाम और लोगो:** जीआई पंजीकरण के लिए प्रस्तावित उत्पाद के प्रचलित नाम का उल्लेख करें। लोगों को वास्तविक उत्पाद की पहचान करने में सहायता देने और जीआई संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए जीआई नाम के साथ लोगो भी प्रस्तुत किया जा सकता है।
2. **आवेदक का विवरण:** आवेदक का पूरा नाम और पता प्रदान करें। ऐसे दस्तावेज संलग्न करें जो यह दर्शाते हों कि उत्पादक संघ या आवेदक निकाय विधि के अनुसार पंजीकृत है, जैसे पंजीकरण प्रमाणपत्र, ज्ञापन, एसोसिएशन के अंतर्नियम, संविधान, ट्रस्ट विलेख या उपनियम।
3. **वस्तु का नाम और वर्ग:** उत्पाद का नाम तथा जीआई प्रणाली के अंतर्गत उसकी सही श्रेणी या वर्ग स्पष्ट रूप से बताएं। वस्तुओं में कृषि वस्तुएँ, प्राकृतिक वस्तुएँ, हस्तशिल्प, औद्योगिक वस्तुएँ, निर्मित वस्तुएँ या खाद्य पदार्थ शामिल हो सकते हैं। वर्गीकरण जीआई अधिनियम और नियमों में निर्दिष्ट श्रेणियों के अनुरूप होना चाहिए।
4. **जीआई क्षेत्र और प्रमाणित मानचित्र:** उस क्षेत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें जहाँ उत्पाद का निर्माण, उत्पादन, खेती या प्रसंस्करण किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मानचित्र की तीन प्रमाणित प्रतियाँ प्रस्तुत करें। मानचित्र में भौगोलिक क्षेत्र दर्शाया जाना चाहिए तथा जहाँ आवश्यक हो, वहाँ संबंधित देशांतर और अक्षांश संबंधी विवरण भी शामिल होने चाहिए।
5. **उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करने वाला शपथपत्र:** मूल नोटरीकृत शपथपत्र प्रस्तुत करें, जिसमें यह स्पष्ट किया गया हो कि आवेदक प्रस्तावित जीआई उत्पाद के उत्पादकों का किस प्रकार प्रतिनिधित्व करता है।

और उनके हितों की किस प्रकार रक्षा करेगा। शपथपत्र में उत्पाद से संबंधित अनुमानित वार्षिक कारोबार का भी उल्लेख होना चाहिए तथा निष्पादन की तारीख, माह और वर्ष अंकित होना चाहिए।

6. **उद्गम का प्रमाण:** उत्पाद के उद्गम और समय के साथ उसके विकास का संक्षिप्त विवरण दें। उसके इतिहास और नाम के उपयोग को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज संलग्न करें, जैसे गजेटियर, पुस्तकें, आधिकारिक अभिलेख और अन्य विश्वसनीय प्रकाशन।
7. **उत्पादन की विधि:** जीआई क्षेत्र के उत्पादकों द्वारा अपनाई जाने वाली अच्छी उत्पादन पद्धतियों का वर्णन करें। उत्पादन का क्रम, गुणवत्ता मानक तथा उन पारंपरिक कौशलों या विशेषताओं की व्याख्या करें जो उत्पाद को विशिष्ट बनाते हैं।
8. **उत्पाद का विनिर्देशन और विवरण:** उत्पाद का विस्तृत किंतु स्पष्ट विवरण प्रदान करें। इसमें उसकी प्रमुख विशेषताएँ, सामग्री, उत्पादन की विधियाँ, गुणवत्ता संबंधी आवश्यकताएँ तथा जहाँ प्रासंगिक हो, तकनीकी विवरण शामिल होने चाहिए।
9. **उत्पाद की विशिष्टता:** उन विशेषताओं की व्याख्या करें जो उत्पाद को समान वस्तुओं से अलग बनाती हैं। स्थानीय उत्पादकों के कौशल, ज्ञान और कारीगरी का वर्णन करें, जो उत्पाद की विशिष्ट पहचान में योगदान करते हैं।
10. **निरीक्षण निकाय का विवरण:** उस निरीक्षण निकाय या गुणवत्ता-नियंत्रण व्यवस्था का विवरण प्रदान करें जो जीआई नाम के उपयोग की निगरानी करेगी। इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलनी चाहिए कि उत्पाद स्वीकृत मानकों को बनाए रखें और जीआई का दुरुपयोग न हो।

[घ] जीआई आवेदन ऑनलाइन दाखिल करने की प्रक्रिया

सभी आवश्यक दस्तावेज और साक्ष्य तैयार करने के बाद, आवेदक नीचे दिए गए चरणों का पालन करते हुए ऑनलाइन माध्यम से (<https://ipindia.gov.in>) भौगोलिक उपदर्शनक (GI) आवेदन दाखिल कर सकता है:

1. **पंजीकरण:** आवेदक को पहले आवश्यक मूलभूत विवरण प्रदान करके जीआई ई-फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
2. **खाते का सत्यापन:** मोबाइल/ई-मेल ओटीपी के माध्यम से पंजीकृत खाते का सत्यापन करें।
3. **लॉग-इन:** पंजीकृत क्रेडेंशियल का उपयोग करके जीआई ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग-इन करें।
4. **फॉर्म और भाषा का चयन:** उपयुक्त फॉर्म का चयन करें और पसंदीदा भाषा, अर्थात् हिंदी या अंग्रेजी, चुनें।
5. **आवेदन भरना:** चयनित फॉर्म में सभी आवश्यक विवरण दर्ज करें। आवेदक को “जीआई आवेदन दाखिल करने के लिए आवश्यकताएँ” के अंतर्गत निर्दिष्ट सभी आवश्यक दस्तावेज और जानकारी तैयार रखनी चाहिए।
6. **अपलोड और पूर्वावलोकन:** आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें तथा दर्ज की गई जानकारी का सत्यापन करने के लिए आवेदन और तैयार किए गए फॉर्म का पूर्वावलोकन करें।
7. **ई-साइन:** डिजिटल रूप से तैयार किए गए फॉर्म पर ई-साइन करने की प्रक्रिया पूरी करें।
8. **सरकारी फीस का भुगतान:** भुगतान पृष्ठ पर जाने के लिए “Next” पर क्लिक करें। लागू सरकारी फीस की गणना प्रणाली द्वारा स्वतः की जाएगी। आवेदक उपलब्ध भुगतान विकल्पों, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई आदि का उपयोग करके भुगतान कर सकता है।
9. **पावती और प्रसंस्करण:** आवेदन और भुगतान सफलतापूर्वक जमा होने पर एक पावती तैयार की जाएगी। इसके बाद आवेदन को आगे की प्रक्रिया के लिए जीआई रजिस्ट्री को भेज दिया जाएगा।

इस दस्तावेज का अनुलग्नक-I चरण-दर-चरण जीआई ई-फाइलिंग त्वरित मार्गदर्शिका प्रदान करता है।

महत्वपूर्ण: आवेदन निर्धारित फॉर्म में और निर्धारित फीस के साथ दाखिल किया जाना चाहिए।

1. आवेदन के लिए निर्धारित फॉर्म और फीस

- निर्धारित जीआई आवेदन फॉर्म, जीआई-1क से जीआई-1घ, जैसा लागू हो, का उपयोग करें।
- संलग्न मार्गदर्शिका में उल्लिखित अनुसार, वस्तुओं के प्रत्येक वर्ग के लिए 1,000 रुपये का निर्धारित फीस अदा करें।

2. भाषा का चयन और दोहरी भाषा में आवेदन

आवेदक को प्राथमिक भाषा का चयन करना होगा और चयनित भाषा में फॉर्म भरना होगा। चयनित प्राथमिक भाषा स्क्रीन के बाईं ओर प्रदर्शित होगी, जबकि संबंधित प्रविष्टियों का द्वितीयक भाषा में स्वचालित रूप से अनुवाद ऑटो-ट्रांसलिटरेशन टूल का उपयोग करके किया जाएगा।

यदि आवेदक स्वचालित रूप से तैयार किए गए अनुवाद में संशोधन करना चाहता है, तो अनुदित पाठ को भौतिक या ऑन-स्क्रीन कीबोर्ड का उपयोग करके संपादित किया जा सकता है।

3. आवेदन पर हस्ताक्षर

जीआई आवेदन पर उपयुक्त व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। यह व्यक्ति निम्नलिखित में से कोई हो सकता है:

- पंजीकृत जीआई एजेंट।
- उत्पादक संघ का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता।
- किसी कंपनी, संगठन या प्राधिकरण के मामले में: मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष, सचिव या उसकी ओर से हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत कोई अन्य प्रमुख अधिकारी।

4. आवेदन दाखिल करना

आवेदन ऑनलाइन या भौतिक माध्यम से बौद्धिक संपदा कार्यालय भवन, जी.एस.टी. रोड, गिंडी, चेन्नई – 600 032 स्थित भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री में दाखिल किया जा सकता है। एक नई ई-फाइलिंग सेवा 15 सितंबर 2026 से उपलब्ध होगी और इसमें आवेदनों की ऑनलाइन ट्रेकिंग की सुविधा भी होगी।

5. प्रारंभिक परीक्षण

आवेदन प्राप्त होने के बाद, जीआई रजिस्ट्री यह जाँच करती है कि फॉर्म, दस्तावेज और अन्य आवश्यकताएँ पूर्ण हैं या नहीं। यदि कोई जानकारी या दस्तावेज अनुपलब्ध हैं, तो रजिस्ट्री एक प्रारंभिक परीक्षण रिपोर्ट जारी करती है और आवेदक से कमियों को दूर करने के लिए कहती है।

आवेदक को आवश्यक दस्तावेजों के साथ पूर्ण उत्तर प्रस्तुत करना चाहिए। यदि उत्तर अधूरा है या उठाए गए मुद्दों का समाधान नहीं करता है, तो रजिस्ट्री कारण बताओ सुनवाई निर्धारित कर सकती है, जिसमें आवेदक को अपना पक्ष स्पष्ट करने और आगे प्रस्तुतियाँ देने का अवसर मिलता है।

6. विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा

प्रारंभिक आवश्यकताएँ पूरी होने के बाद, रजिस्ट्रार संबंधित उत्पाद या क्षेत्र का ज्ञान रखने वाले अधिकतम सात विशेषज्ञों का एक परामर्शी समूह गठित कर सकता है। यह समूह आवेदन और सहायक साक्ष्यों की समीक्षा करता है ताकि यह जाँच किया जा सके कि उत्पाद, उसके उद्गम और उसकी उल्लेखनीय विशेषताओं के संबंध में किए गए दावे सही हैं या नहीं।

आवेदक को इस समूह के समक्ष प्रस्तुति देने के लिए कहा जा सकता है। समूह की सिफारिशों के आधार पर, रजिस्ट्री एक परीक्षण रिपोर्ट जारी कर सकती है और आवेदक से निर्धारित अवधि के भीतर स्पष्टीकरण, सुधार या अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कह सकती है।

7. प्रकाशन और विरोध

आवेदन स्वीकार किए जाने के बाद उसे जीआई जर्नल में प्रकाशित किया जाता है। इससे आवेदन जनता के लिए उपलब्ध हो जाता है। कोई भी व्यक्ति, जो यह मानता है कि जीआई का पंजीकरण नहीं किया जाना चाहिए, निर्धारित अवधि के भीतर विरोध दर्ज कर सकता है।

8. पंजीकरण और नवीकरण

यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई विरोध दर्ज नहीं किया जाता है, या यदि विरोध का निर्णय आवेदक के पक्ष में होता है, तो जीआई का पंजीकरण कर दिया जाता है। पंजीकरण आवेदन दाखिल किए जाने की तारीख से प्रभावी होता है और पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।

वर्तमान में, जीआई अधिनियम के अंतर्गत जीआई पंजीकरण 10 वर्षों के लिए वैध होता है। लागू नवीकरण प्रक्रिया का पालन करके इसे समय-समय पर नवीकृत किया जा सकता है।

[ड] जीआई रजिस्ट्री में जीआई आवेदन पर कार्यवाही

जीआई आवेदन दाखिल किए जाने के बाद, वह भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री में कई चरणों से होकर गुजरता है। इस प्रक्रिया के दौरान यह जाँच किया जाता है कि आवेदन पूर्ण है या नहीं, किए गए दावों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य हैं या नहीं और जीआई का पंजीकरण किया जा सकता है या नहीं।

चरण 1: फाइलिंग और रसीद

आवेदक, जीआई एजेंट या सुविधा प्रदाता, कवरिंग लेटर और सभी सहायक दस्तावेजों के साथ भौतिक जीआई आवेदन प्रस्तुत करता है। रजिस्ट्री आवेदन को एक विशिष्ट जीआई संख्या, जैसे GI-124, प्रदान करती है और आवेदक या एजेंट को आवेदन प्राप्त होने की सूचना देती है।

ऑनलाइन आवेदनों के लिए, आवेदन जमा करने और शुल्क के भुगतान की पावती स्वतः प्राप्त हो जाती है। आवेदन संख्या तैयार की जाती है और एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से आवेदक को सूचित की जाती है।

चरण 2: स्कैनिंग और डेटा एंट्री

रजिस्ट्री आवेदन और दस्तावेजों को डिजिटल प्रारूप में स्कैन करती है। आवेदन प्रपत्र और मामले के विवरण में दिए गए सभी विवरणों को दर्ज किया जाता है और उनकी जाँच की जाती है। इस प्रारंभिक सत्यापन के बाद आवेदन को औपचारिकता जाँच के लिए भेजा जाता है।

चरण 3: औपचारिकता जाँच

एक अधिकृत अधिकारी आवेदन, मामले के विवरण और सहायक दस्तावेजों की जाँच करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे जीआई अधिनियम और नियमों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। यदि कोई जानकारी, हस्ताक्षर या दस्तावेज अनुपलब्ध हैं, तो रजिस्ट्री एक औपचारिकता रिपोर्ट भेजती है, जिसमें यह स्पष्ट किया जाता है कि क्या सुधार या प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

चरण 4: औपचारिक रिपोर्ट का उत्तर

आवेदक या एजेंट को उत्तर प्रस्तुत करना होगा और आवश्यकतानुसार कोई भी अनुपलब्ध जानकारी या दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। रजिस्ट्री उत्तर की समीक्षा करती है। यदि सभी आवश्यकताएँ पूरी हो जाती हैं, तो आवेदन विशेषज्ञ समीक्षा के लिए आगे बढ़ता है। यदि उत्तर अधूरा है, तो रजिस्ट्री आवेदक को कारण बताओ सुनवाई के लिए बुला सकती है, ताकि वह अपना पक्ष स्पष्ट कर सके और शेष मुद्दों का समाधान कर सके।

चरण 5: विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा

रजिस्ट्रार अधिकतम सात विशेषज्ञों का एक परामर्शी समूह गठित कर सकता है। भौगोलिक उपदर्शन का रजिस्ट्रार इस समूह का प्रमुख होता है तथा इसमें संबंधित शैक्षणिक, तकनीकी, औद्योगिक या विषयगत ज्ञान रखने वाले अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल किए जा सकते हैं।

विशेषज्ञ यह जाँच करते हैं कि जीआई आवेदन और मामले के विवरण में दी गई जानकारी सही है या नहीं। वे संशोधन, सुधार या अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की सिफारिश कर सकते हैं।

चरण 6: परीक्षण रिपोर्ट

आवेदक को विशेषज्ञ समूह के समक्ष उत्पाद के संबंध में प्रस्तुति देने के लिए कहा जा सकता है। समूह अपनी सिफारिशें सामान्यतः अपने गठन के तीन महीने के भीतर रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करता है।

इन सिफारिशों के आधार पर, रजिस्ट्रार आवेदन को स्वीकार कर सकता है, संशोधनों या शर्तों के अधीन स्वीकार कर सकता है, अथवा आपत्तियाँ उठा सकता है। इसके बाद रजिस्ट्री एक परीक्षण रिपोर्ट जारी करती है, जिसमें आवेदक से आवश्यकतानुसार उत्तर, सुधार या अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

चरण 7: परीक्षण रिपोर्ट का उत्तर

आवेदक या एजेंट परीक्षण रिपोर्ट का पूर्ण उत्तर प्रस्तुत करता है। रजिस्ट्री उत्तर और दस्तावेजों की समीक्षा करती है। यदि आवश्यकताएँ पूरी हो जाती हैं और आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, तो इसे जीआई जर्नल में प्रकाशन के लिए आगे भेज दिया जाता है।

चरण 7क : कारण बताओ सुनवाई, यदि आवश्यक हो

यदि उत्तर की समीक्षा के बाद भी रजिस्ट्री की आपत्तियाँ अनसुलझी रहती हैं, तो कारण बताओ सुनवाई निर्धारित की जा सकती है। इसमें आवेदक को आवेदन के संबंध में अपना पक्ष स्पष्ट करने और व्यक्तिगत रूप से, एजेंट के माध्यम से या रजिस्ट्री द्वारा अनुमत माध्यम से अपनी प्रस्तुतियाँ देने का अवसर मिलता है।

रजिस्ट्री सुनवाई की सूचना अग्रिम रूप से भेजती है। सुनवाई के बाद निर्णय की सूचना आवेदक या अधिकृत एजेंट को ई-मेल और डाक के माध्यम से दी जाती है तथा आदेश संबंधित वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जा सकता है।

चरण 8: जीआई जर्नल में प्रकाशन

आवेदन स्वीकार किए जाने के बाद, सामान्यतः तीन महीने के भीतर इसे जीआई जर्नल में विज्ञापित किया जाता है। विज्ञापन के प्रकाशन या पुनःप्रकाशन की तारीख से चार महीने तक यह खुला रहता है। इस अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति पंजीकरण के विरुद्ध विरोध दर्ज कर सकता है।

चरण 9: पंजीकरण

यदि चार महीने की अवधि के भीतर कोई विरोध दर्ज नहीं किया जाता है, तो आवेदन पंजीकरण के लिए आगे बढ़ सकता है। यदि विरोध दर्ज किया जाता है, लेकिन उसका निर्णय आवेदक के पक्ष में होता है, तो आवेदन पंजीकरण के लिए आगे बढ़ सकता है। आवेदन का पंजीकरण तब तक किया जाएगा, जब तक कि आवेदक इसे वापस न ले, या सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति अथवा विज्ञापन को वापस न ले लिया जाए या रद्द न कर दिया जाए।

शंका समाधान हेतु संपर्क सूत्र

जीआई आवेदन दाखिल करने, पहले से दाखिल किए गए आवेदनों की स्थिति संबंधी जानकारी, अथवा आपके आवेदन में प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट या कमियों से संबंधित किसी भी जानकारी या प्रश्न के लिए, कार्यालय महानियंत्रक, एकस्व, अभिकल्प और व्यापार चिह्न द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस के शुक्रवार को ओपन हाउस सत्र आयोजित किए जाते हैं। ओपन हाउस सत्र में शामिल होने के लिए लिंक नीचे दिया गया है:

<https://ipindia.gov.in/grievance-suggestion>

आप ओपन हाउस हेल्पडेस्क पोर्टल पर भी लिख सकते हैं:

<https://iprsearch.ipindia.gov.in/openhousehelpdesk/Login/login>

वैकल्पिक रूप से, आप टोल-फ्री नंबर **1800-110-989** पर प्रातः 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे के बीच, सरकारी अवकाश को छोड़कर, संपर्क कर सकते हैं या ipo-helpdesk@nic.in पर ई-मेल भेज सकते हैं।

परिशिष्ट -I



बौद्धिक संपदा भारत
Intellectual Property INDIA

2026

भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

कार्यालय महानियंत्रक, एकस्व, अभिकल्प और व्यापार चिह्न

बौद्धिक संपदा भवन, प्लॉट संख्या 32, द्वारका सेक्टर-14, नई दिल्ली – 110078

Government of India
Ministry of Commerce and Industry
Office of Controller General Patents, Designs & Trade Marks
Bouddhik Sampada Bhawan, Plot No. 32, Sector 14
Dwarka, New Delhi-110078

10-Step Quick Guide

Registration → Login → Form Filing → Documents → e-Sign → Payment

1

Register on the Portal

Click 'New User Registration' and select your account type: Applicant, Facilitator, GI Agent, or Attorney/Advocate.

The screenshot shows the 'New User Registration' page of the Geographical Indications e-Filing Portal. The header includes the Government of India emblem, the Office of Controller General of Patents, Designs & Trade Marks, and the Department for Promotion of Industry and Internal Trade. The page title is 'भौगोलिक उपदर्शन Geographical Indications'. The main content area features a dark blue box with the text 'New User Registration / नया उपयोगकर्ता पंजीकरण' and a subtext 'Select your account type to proceed with registration / पंजीकरण के साथ आगे बढ़ने के लिए अपने खाते का प्रकार चुनें'. Below this is a dropdown menu labeled 'Register As / पंजीकरण के रूप में *' with the option '-- Select Option -- / -- विकल्प चुनें --'. At the bottom of the box is a button labeled 'Back to Sign In / साइन इन पर वापस जाएं'.

Designed and Developed by O/o Controller General of Patents Design & Trade Marks

New User Registration — select account type

2

Verify & Create Login

Fill in your applicant details, verify your email with OTP, then set up your User ID and password.

Registration Form / पंजीकरण फॉर्म
Change Role / भूमिका बदलें

Role / भूमिका: Applicant / आवेदक

APPLICANT DETAILS / आवेदक का विवरण

English
हिंदी

Applicant Name *
Enter Applicant Name

Country
India

Pincode *
6-digit Pincode (e.g. 110001)

State *
State

District *
City / District

Applicant Address *
Enter Full Applicant Address

Phone No / फोन नंबर *
Phone Number

Email / ईमेल *
Email Address

Alternate Phone No / वैकल्पिक फोन नंबर
Alt Phone/Mobile No

Alternate Email / वैकल्पिक ईमेल
Alternative Email Address

User ID / उपयोगकर्ता आईडी *

आवेदक का नाम *
आवेदक का नाम भरें

पिनकोड *
पिनकोड (जैसे 110001)

राज्य *
राज्य

जिला *
जिला

आवेदक का पता *
आवेदक का पता भरें

Send OTP

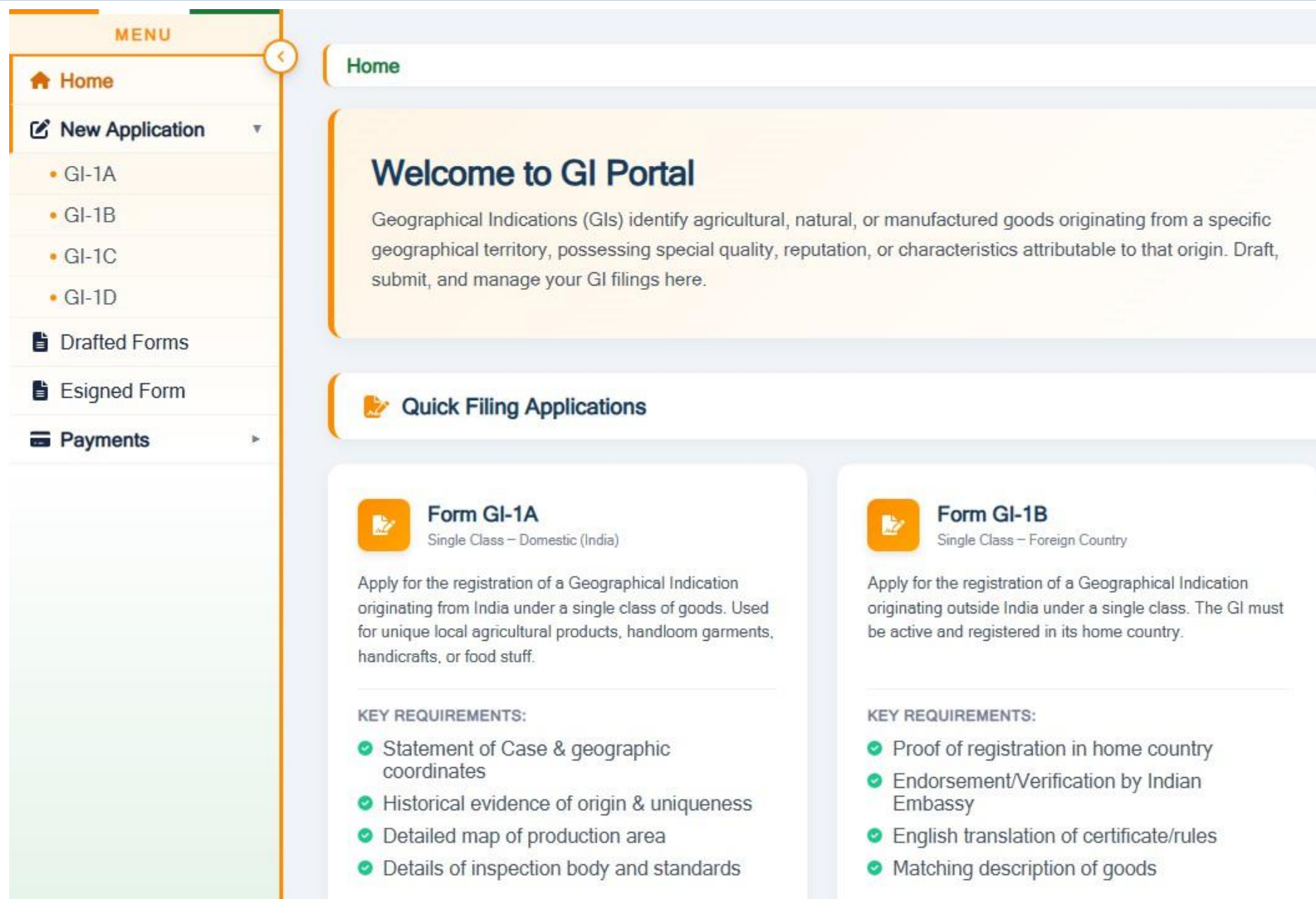
User Detail's / उपयोगकर्ता विवरण

Registration Form — details, OTP verification and User ID

3

Log In to Your Dashboard

Sign in with your User ID and password. The left-hand menu opens with Home, New Application, Drafted Forms, and Payments.



The screenshot displays the dashboard of the GI e-Filing Portal. On the left is a vertical menu with the following items: Home, New Application (with a dropdown arrow), Drafted Forms, Esigned Form, and Payments (with a right-pointing arrow). The 'New Application' dropdown is expanded, showing four options: GI-1A, GI-1B, GI-1C, and GI-1D. The main content area is titled 'Home' and features a large orange banner with the text 'Welcome to GI Portal' and a paragraph explaining that Geographical Indications (GIs) identify agricultural, natural, or manufactured goods originating from a specific geographical territory. Below this is a section titled 'Quick Filing Applications' which contains two cards: 'Form GI-1A' (Single Class – Domestic (India)) and 'Form GI-1B' (Single Class – Foreign Country). Each card provides a brief description of the application and a list of key requirements.

MENU

- Home
- New Application
 - GI-1A
 - GI-1B
 - GI-1C
 - GI-1D
- Drafted Forms
- Esigned Form
- Payments

Home

Welcome to GI Portal

Geographical Indications (GIs) identify agricultural, natural, or manufactured goods originating from a specific geographical territory, possessing special quality, reputation, or characteristics attributable to that origin. Draft, submit, and manage your GI filings here.

Quick Filing Applications



Form GI-1A

Single Class – Domestic (India)

Apply for the registration of a Geographical Indication originating from India under a single class of goods. Used for unique local agricultural products, handloom garments, handicrafts, or food stuff.

KEY REQUIREMENTS:

- Statement of Case & geographic coordinates
- Historical evidence of origin & uniqueness
- Detailed map of production area
- Details of inspection body and standards



Form GI-1B

Single Class – Foreign Country

Apply for the registration of a Geographical Indication originating outside India under a single class. The GI must be active and registered in its home country.

KEY REQUIREMENTS:

- Proof of registration in home country
- Endorsement/Verification by Indian Embassy
- English translation of certificate/rules
- Matching description of goods

Dashboard left-hand menu

4

Choose the Right Form

GI-1A — Indian applicant, Single Class

GI-1B — Foreign applicant, Single Class

GI-1C — Indian applicant, Multiple Class

GI-1D — Foreign applicant, Multiple Class

Home > GI Filing Portal

Dashboard > Quick Form Filing > **GI Form 1A**

Application Payment Completed

English हिंदी

Details of Geographical Indication / भौगोलिक संकेत का विवरण

Application Type *

☒ Home Country ☐ Convention / Foreign Country

Do you want to register GI in? *

☒ Single Class ☐ Multiple Class

1. Application is hereby made for registration of the accompanying geographical indication in Part A of the Register, furnishing the following particulars:

Type of Goods *

Select Goods

Class [View Class Details \(PDF\)](#)

e.g. 33

Description of Goods *

आवेदन का प्रकार *

☒ स्वदेशी (गृह देश) ☐ कन्वेंशन / फोरेन देश

क्या आप भौगोलिक संकेत (GI) को पंजीकृत करना चाहते हैं? *

☒ एकल वर्ग ☐ बहु वर्ग

1. उक्त भौगोलिक उपदर्शन को रजिस्टर के भाग क में पंजीकृत करने हेतु निम्नलिखित विवरण के साथ आवेदन किया जाता है:

वस्तुओं का प्रकार *

वस्तु चुनें

वर्ग [वर्ग विवरण देखें \(PDF\)](#)

जैसे 33

वस्तुओं का विवरण *

GI Form 1A — Application progress tracker

5

Select Application Type & Class

Choose Home Country or Convention/Foreign Country, then Single or Multiple Class, and enter the Type of Goods and Description.

Details of Geographical Indication / भौगोलिक संकेत का विवरण

Application Type *

☐ Home Country
 ☒ Convention / Foreign Country

Do you want to register GI in? *

☐ Single Class
 ☒ Multiple Class

1. Application is hereby made for registration of the accompanying geographical indication in Part A of the Register, furnishing the following particulars:

Type of Goods *

Select Goods

Classes & Description [View Class Details \(PDF\)](#)

Class & Description #1

Class *
 e.g. 33

Description of Goods *
 Enter description of goods (max 200 words)...

[+ Add More Class & Description / अधिक वर्ग और विवरण जोड़ें](#)

आवेदन का प्रकार *

☐ स्वदेशी (गृह देश)
 ☒ कन्वेंशन / फोरेन देश

क्या आप भौगोलिक संकेत (GI) को पंजीकृत करना चाहते हैं? *

☐ एकल वर्ग
 ☒ बहु वर्ग

1. उक्त भौगोलिक उपदर्शन को रजिस्टर के भाग क में पंजीकृत करने हेतु निम्नलिखित विवरण के साथ आवेदन किया जाता है:

वस्तुओं का प्रकार *

वस्तु चुनें

वर्ग और विवरण युग्म [वर्ग विवरण देखें \(PDF\)](#)

वर्ग और विवरण युग्म #1

वर्ग *
 जैसे 33

वस्तुओं का विवरण *
 वस्तुओं का विवरण दर्ज करें (अधिकतम 200 शब्द)...

[+ Add More Class & Description / और वर्ग व विवरण जोड़ें](#)

Application Type: Convention/Foreign Country, Multiple Class

6

Upload GI Logo & Save Details

Upload the GI logo (PDF/JPEG/PNG, max 8 MB) and click 'Save Details of GI' before adding applicants.

Logo of Geographical Indication / भौगोलिक संकेत का लोगो
(Upload only PDF, JPEG or PNG | Max size: 8 MB / केवल पीडीएफ, जेपीईजी या पीएनजी अपलोड करें | अधिकतम साइज़: 8 MB)

⬆️ Drag & drop file here, or click to browse (Only JPG, JPEG, PNG, PDF files | Max size: 8 MB)

Save Details of GI / भौगोलिक संकेत का विवरण सहेजें

Applicant Details / आवेदक का विवरण

● Applicants / आवेदक 0 Added + Add Applicant / आवेदक जोड़ें

No applicant added yet. Click "+ Add Applicant" to begin.

Essential Documents

Important Note: All documents must be uploaded in PDF format only. Maximum file size allowed is 8 MB per document.

Document Type	Content *
1. List of association of persons/ producers/ organisation/ authority *	Add Content / कंटेंट जोड़ें
2. Specification of Goods *	Add Content / कंटेंट जोड़ें
3. Description of the goods *	Add Content / कंटेंट जोड़ें

Logo upload and Save Details of GI

7

Add Applicant Details

Click '+ Add Applicant' and enter the individual/ firm/ organisation name, address, email, and mobile number.

Email ID * Enter Email ID Mobile No. * Enter 10-digit Mobile No. Send OTP / ओटीपी भेजें	ईमेल आईडी * ईमेल आईडी मोबाइल नंबर * मोबाइल नंबर
☐ Same as applicant address / आवेदक के पते के समान	
Individual / Firm / Organisation Name Enter name Country India Pincode e.g. 110001 State District	व्यक्ति / फर्म / संगठन का नाम नाम दर्ज करें देश India पिनकोड जैसे 110001 राज्य ज़िला

Applicant contact and address details

8

Upload Essential Documents

Upload all 10 mandatory PDFs — Specification of Goods, Description, Map, Proof of Origin, Method of Production, Uniqueness, Inspection Body, Affidavits, etc. — each up to 8 MB.

1. List of association of persons/ producers/ organisation/ authority / व्यक्तियों/उत्पादकों/संगठन/प्राधिकरण के संघ की सूची *	Add Content / कंटेंट जोड़ें
2. Specification of Goods / वस्तुओं का विवरण *	Add Content / कंटेंट जोड़ें
3. Description of the goods / वस्तुओं का स्पष्टीकरण *	Add Content / कंटेंट जोड़ें
4. Geographical area of production and map / उत्पादन का भौगोलिक क्षेत्र और मानचित्र *	Add Content / कंटेंट जोड़ें
5. Proof of origin[Historical records] / उत्पत्ति का प्रमाण [ऐतिहासिक रिकॉर्ड] *	Add Content / कंटेंट जोड़ें
6. Method of Production / उत्पादन की विधि *	Add Content / कंटेंट जोड़ें
7. Uniqueness / विशिष्टता *	Add Content / कंटेंट जोड़ें
8. Inspection Body / निरीक्षण निकाय *	Add Content / कंटेंट जोड़ें
9. Statement of user by way of an Affidavit / शपथ पत्र के माध्यम से उपयोगकर्ता का विवरण *	Add Content / कंटेंट जोड़ें
10. Notarized Affidavit- How the Applicant represents the interests of the producers / नोटरीकृत शपथ पत्र - आवेदक उत्पादकों के हितों का प्रतिनिधित्व कैसे करता है *	Add Content / कंटेंट जोड़ें
11. Select Other Document Type / अन्य दस्तावेज का प्रकार चुनें	 Drag & drop file here, or click to browse (Only PDF files Max size: 8 MB)

Essential Documents verification checklist

9

Declare & e-Sign

Save your communication address, tick the declaration checkbox, then click 'Preview & Submit'.
Complete e-Sign by entering your name and 12-digit Aadhaar number.

District Address Enter communication address...	जिला पता संचार पता दर्ज करें...
Save Address Details / पता विवरण सहेजें	
☐ I hereby declare that the above information submitted by me is true and correct to the best of my knowledge and belief. / मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरी समझ और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है।	
← Back / पीछे	🔄 Reset / रीसेट 👁️ Preview & Submit / पूर्वावलोकन और सबमिट
Designed and Developed by O/o Controller General of Patents Design & Trade Marks	

Declaration and Preview & Submit



कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
Office of Controller General of Patents, Designs & Trade Marks
Department for Promotion of Industry and Internal Trade
सत्यमेव जयते



भौगोलिक उपदर्शन
Geographical Indications

Welcome **dummy** ▼

Home > New Application > GI Form 1A

✓
Application


E-Sign


Payment

Document Signature (Aadhaar E-Sign) / दस्तावेज़ हस्ताक्षर (आधार ई-हस्ताक्षर)

Full Name (as per Aadhaar) / आधार कार्ड के अनुसार नाम
Rakesh Sharma

Aadhaar Card Number (12 Digits) / आधार कार्ड संख्या (12 अंक)
XXXX XXXX 4444

Submit / जमा करें

← Back / पीछे

Proceed to Payment → / भुगतान के लिए आगे बढ़ें →

Designed and Developed by O/o Controller General of Patents Design & Trade Marks

e-Sign

10

Make Payment & Submit

Review the fee and Temporary Application Number, tick the payment declaration, then click 'Pay' to complete submission.

कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
Office of Controller General of Patents, Designs & Trade Marks
Department for Promotion of Industry and Internal Trade

भौगोलिक उपदर्शन
Geographical Indications

Welcome dummy

MENU

- Home
- New Application
 - GI-1A
 - GI-1B
 - GI-1C
 - GI-1D
- Drafted Forms
- Payments

Application E-Sign Payment

PAYMENT DETAILS AND SUBMISSION

Payment Details: (In favor of Registrar of Geographical Indications, payable at Chennai.)

☒ e-Payment

Temporary Application Number: GI1/2026/000097

Total Amount for Submission: Rs. 1,000 for Geographical Indication Registration.

Instructions for payment:

Once you click on pay icon, you cannot edit or modify application.

Once you click on pay icon, you will be directed to bharatkosh payment gateway.

Please record your request number for future references.

In case payment is "unsuccessful/failure", details of same are available under "Pending Payments"

Repayments of the unsuccessful/failed transactions can be made by clicking on "make repayment"

In case transaction is "successful", the details of the same are available under "payment history".

Kindly note that requisite "Fee" for any of the forms Geographical Indication shall be entertained only if it is paid through the e-filing portal of Geographical Indication and not through any other means.

Please note that the payment gateway is not available between 2300 HOURS and 0030 HOURS in the e-filing module due to bank reconciliation process.

Guidelines for using NTRP (Bharat Kosh) Payment Gateway

Preview / पूर्वावलोकन

☐ I Declare that the particulars furnished are true to the best of my knowledge.

Pay / भुगतान करें

Payment Details and Submission

✓ **Done!** Your GI application is now filed. Track its status anytime from 'Drafted Forms' or 'Payments' on your dashboard.